

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....३३...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक २२/०३/२०२५

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित अनुसार क्लेम प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा (म0प्र0)	1. क्लेम प्रकरण क्रमांक-889/2024 खुशबु केवट वि0 कमलाकर चतुर्वेदी व अन्य 2. क्लेम प्रकरण क्रमांक-886/2024 आशा केवट वि0 कमलाकर चतुर्वेदी व अन्य 3. क्लेम प्रकरण क्रमांक-868/2024 कमलेश केवट वि0 कमलाकर चतुर्वेदी व अन्य 4. क्लेम प्रकरण क्रमांक-867/2024 अंजीता केवट वि0 कमलाकर चतुर्वेदी व अन्य	16वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा (म0प्र0)
2.	15वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा (म0प्र0)	क्लेम प्रकरण क्रमांक-816/2024 प्रेमवती केवट वि0 कमलाकर चतुर्वेदी व अन्य	

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक २२/०३/२०२५

पृष्ठांकन क्र०.1435/
दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

- 10वें/15वें/16वें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा (म0प्र0)
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
- जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)